

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

विमल सिंह

बनाम

पत्रावली विनांक

आ

२१

२०२३

अन्तर्गत धारा

२१२ RTA

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज्ञ

नाम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

३१/१३

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस लूट समग्र पत्रावली RTA की अधिवक्तागणों पेशी तक बढ़ा जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक २४/०८/२३ को पेश हो।

२८/२३

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक २५/०९/२३ को पेश हो।

२६/२३

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस लूट समग्र पत्रावली RTA की अधिवक्तागणों पेशी तक बढ़ा जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक ०३/१०/२३ को पेश हो।

३१/२३

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस लूट समग्र पत्रावली RTA की अधिवक्तागणों पेशी तक बढ़ा जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक २५/१०/२३ को पेश हो।

२५/२३

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA नोटिस किया। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA नोटिस करने पर सफरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर दिनांक २९/०९/२३ की अधिवक्तागणों पेशी तक बढ़ा जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक २९/०९/२३ को पेश हो।

इसे सुनकर प्राची को कोई कार्य नहीं बड़ी करनी पड़ती है।  
निर्वाह  
Not Brev  
Sump



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर